फाइल सं. 13(38) / एफएफसी/ एफसीडी/ 2015-16

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(वित्त आयोग प्रभाग)

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नंबर-1
5वां तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 24-08-2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- 21/7/2016 को आयोजित समन्वय समिति (एमओपीआर की) की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त - के संबंध में।

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के दिनांक 04/8/2016 के का.ज्ञा. सं. एन-11013/22/2015-पी&जे का संदर्भ लें, जिसके साथ दिनांक 21/7/2016 को नई दिल्ली में आयोजित समन्वय समिति की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त अग्रेषित किए गए थे।

2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित पैरा संख्या (vi), (x) और (xi) पर कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं;

क्र. सं.	**कार्यवृत्त का पैरा संख्या**	**वित्त मंत्रालय (एमओएफ) की टिप्पणियाँ**
1.	(vi)	व्यय विभाग ने अंतर-राज्य परिषद को सूचित किया है कि पुंछी आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार व्यवसाय कर (प्रोफेशन टैक्स) की सीमा को समाप्त करने में उसे सिद्धांत रूप में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति बन जाए।
2.	(x)	अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। पश्चिम बंगाल और असम राज्यों से उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त हुए थे, लेकिन क्रमशः विलंबित हस्तांतरण और कम मात्रा में हस्तांतरण के कारण, संबंधित राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे अगली किस्त जारी करने हेतु पात्र बनने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करें। गोवा से भी अभी तक कोई उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दिनांक 16/8/2016 को एएस (व्यय) के साथ हुई बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार, एमओपीआर और एमओयूडी (जैसा भी मामला हो) से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर डीओई को मूल अनुदान जारी करना है। अत: पंचायती राज मंत्रालय इन तीन राज्यों के संबंध में भी आगे आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।
3.	(xi)	परिचालन दिशानिर्देशों का पैरा 13 'निष्पादन अनुदान के लिए पात्रता' से संबंधित है, जो इस प्रकार है, 'एफएफसी ने अनुशंसा की है कि ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को 'निष्पादन

		अनुदान के वितरण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन की मात्रा सहित विस्तृत प्रक्रिया और परिचालन मानदंड संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाएंगे, जो नीचे वर्णित पात्रता शर्तों के अध्यधीन होंगे; **ग्राम पंचायत (जीपी) के लिए** ग्राम पंचायत को लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने होंगे जो उस वर्ष जिसमें ग्राम पंचायत 'निष्पादन अनुदान का दावा करना चाहती है, के दो वर्ष पहले से संबंधित न हों। ग्राम पंचायत को पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि दिखानी होगी जैसा कि लेखापरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया हो .... **नोट:** *निष्पादन अनुदान के लिए ग्राम पंचायत या नगरपालिका (नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत सहित) की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से, वर्ष 2016-17 में निष्पादन अनुदान हेतु अपेक्षित लेखापरीक्षित लेखा वर्ष 2014-15 से संबंधित होंगे.....* अत: परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के उपर्युक्त 'नोट' के आलोक में, यह स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 के लिए 'निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए 'स्वयं कर राजस्व' में वृद्धि को केवल वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षित लेखा से सत्यापित किया जाएगा आर्थात वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षित लेखा में वर्ष 2013-14 की तुलना में ओएसआर में वृद्धि दर्शाया जाना चाहिए।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

आर. बी कॉल,
वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (एफसीडी)
दूरभाष सं. 24360026(कार्या.)

सेवा में,

अवर सचिव
[श्री आर शिवकुमार],
पंचायती राज मंत्रालय
11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
नई दिल्ली-110001